कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

पत्रांक– 2147 /मी0क्षे0/33/मीरजापुर, दिनांक,नवम्बर 25 2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुसागर पावर कम्पनी को ऐश डिस्पोजलयार्ड के निर्माण हेतु 10वर्ष की लीज (21.06.2009 से 20.06.2019 तक के लिए) दी गयी 61.2348हे0 वनभूमि के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– 1–उ0प्र0, शासन का पत्रांक–966/81–2–2020–911/1992 दिनांक 15.06.2020
2–आपका पत्रांक–2194/11–सी दिनांक 16.06.2020
3– इस कार्यालय का पत्रांक–1677/मीरजापुर/33 दिनांक 27.10.2020
4– आपका पत्रांक–1056/11–सी दिनांक 03.11.2020
5– आपका पत्रांक–1104/11–सी दिनांक 07.11.2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयक प्रकरण में उ0प्र0, शासन के निर्देशानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा हुयी अथवा नहीं ? यदि स्टाम्प ड्यूटी जमा नहीं हुयी है तो उसका कारण स्पष्ट करते हुए संशोधित सूचना/आख्या संस्तुति सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के आलोक में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने कार्यालय के पत्रांक–1465/रेनुकूट/15–31 दिनांक 09.11.2020 (छायाप्रति संलग्न है) द्वारा अवगत कराया है कि **सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त, स्टाम्प सोनभद्र के पत्र संख्या–235/ दिनांक 13.10.2020 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में स्टाम्प शुल्क किसी बैंक में जमा नहीं होगा। बल्कि पट्टा विलेख के निस्पादन की तिथि को या उसके पूर्व ई–स्टाम्प या नानज्यूडिसियल स्टाम्प लेकर पट्टा विलेख का निस्पादन कराया जाना होगा ।**

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 शासन को प्रेषित पट्टा विलेख अनुमोदित किये जाने के उपरान्त ही सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त, स्टाम्प सोनभद्र के निर्देशानुसार स्टाम्प शुल्क की देयता का निस्तारण उपरोक्तानुसार हो पायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या– 2147 अ/समदिनांक।

प्रतिलिपिः प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट को उनके कार्यालय के पत्रांक–1465/रेनुकूट/15–31 दिनांक 09.11.2020 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(रमेश चन्द्र झा)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर